राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com.com

क्रमांकः–मो.प्र./DLB/कोरोना/कन्ट्रोल/2020/ 2081 जयपुर, दिनांकः– 01/10/2020

समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव, रोकथाम के लिए आमजन के मध्य प्रचार–प्रसार के लिये कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन हेतु दिशा–निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार ने कॉविड–19 से लड़ने हेतु कई आवश्यक कदम उठाये गये है, यथा– मेडिकल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढिकरण यथा टेस्टिंग कैपिसिटी को बढ़ाना, अस्पतालों में बेड की संख्या में वृद्धि, कोरोना के संबंध में जन जागरूकता अभियान, कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 निषेधाज्ञा एवं साथ ही इस संबंध में दण्ड के प्रावधान भी किये गये हैं। देश के साथ–साथ राज्य में कोरोना वायरस का फैलाव तेज गति के साथ बढ़ रहा है। लोगों में कोरोना से बचाव हेतु उपायों के बारें में ओर अधिक जागृत करने की आवश्यकता हैं। हाल ही में डॉक्टर विशेषज्ञों के साथ हुयी चर्चा में इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए तीन सुरक्षात्मक उपाय अपनाना अति आवश्यक हैं– मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग एवं हाथ धोना।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए "नो मास्क नो एन्ट्री" की पहल को आमजन के हित में एक जन आन्दोलन के रूप में परिवर्तित करने के लिये आमजन के मध्य और अधिक जन–जागृति पैदा करने के संबंध में निर्देश दिये है। आमजन तक यह संदेश पहुंचाया जाना आवश्यक है कि "**आपकी जरा सी लापरवाही आपके साथ–साथ अन्य लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे** राज्य में कोरोना वायरस से स्वयं का तथा दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिये **कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन का शुभारम्भ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को जयपुर से किया जायेगा।**

इस जन आन्दोलन अभियान में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. कोरोना जन आन्दोलन अभियान का आरम्भ जिलों में 3 अक्टूबर 2020 को प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में होगा। इस अभियान के नोडल अधिकारी जिला कलक्टर होंगे, एवं नोडल अधिकारी के अधीन निम्न अधिकारी कार्य करेगें।
   - आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका
   - जिला शिक्षा अधिकारी
   - कार्यक्रम अधिकारी, एन.एस.एस./एन.सी.सी./स्काउट गाईड
2. शहरी क्षेत्र में जन आन्दोलन अभियान के लिए नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र को आवश्यकतानुसार 10 हिस्सों में बांटकर कार्यवाही की जावें। नगर निगम में आवश्यकतानुसार ज्यादा हिस्सों में बांटा जाकर अभियान का संचालन एवं मॉनिटरिंग की जावें।

Scanned with CamScanner

3. जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 01.10.2020 को संबंधित शहर के NCC/NSS/SCOUT GUIDE/TEACHERS/NGO'S (स्वयंसेवी संस्थाऐं)/नेहरू युवा केन्द्र/पार्षद/पूर्व पार्षद/समाजसेवी/व्यापारिक संगठन/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि/भामाशाह, Donors व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि व अन्य Stakeholders के साथ बैठक आयोजित कर सभी की जिम्मेदारी तय कर, कार्य एवं क्षेत्र विभाजन कर **"कोरोना के विरूद्ध जन आन्दोलन"** हेतु व्यापक रणनीति बनायी जाए।
4. अभियान में जन प्रतिनिधियों, वर्तमान तथा पूर्व पार्षदों एवं विधायको, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लिया जावें। जन प्रतिनिधि अलग–अलग क्षेत्रों में जायेगें।
5. आन्दोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाईश कर सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान के दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल यथा– **मास्क का पहनना**, उचित दूरी बनाये रखने और भीड़–भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्यता, बार–बार हाथ धोना की पालना का संदेश दिया जाये।
6. इस जन आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थानों यथा सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, बाजार, रेल्वे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टेण्ड, अदालते, सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों, निर्माण स्थलों आदि पर बिना मास्क वाले लोगो को अपनी तरफ से मास्क वितरित कर इसे पहनें रखनें की अपील करें। मास्क का प्रबंध नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नगर सुधार न्यास एवं सीएसआर के माध्यम से किया जावें। उल्लेखनीय है कि मास्क शीघ्रलक्ष्य आधारित नहीं वितरित किए जावें परन्तु भीड–भाड वाले स्थान यतः बस–अड्डा, अस्पताल, रेल्वे स्टेशन, न्यायालय परिसर में मास्क विहीन लोगों को संवाद उपरान्त वितरित किए जावें।
7. नगरीय निकायों के सफाई कर्मचारी उनके क्षेत्र में समस्त घरों पर कोरोना जन जागरूकता संबंधी स्टीकर आदि लगाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा तथा सत्यापन सम्बन्धित जोन उपायुक्त एवं अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाए।
8. राज्य के शहरी क्षेत्रों मे स्थानीय निकाय विभाग द्वारा चलाये जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक परिवहन के साधनों बसों/ट्रेनो/ई–रिक्शा/साईकिल रिक्शा/ऑटो तथा नगरीय निकायों के हूपर के माध्यम से प्रभावी प्रचार–प्रसार शहर के समस्त वार्डो में सुनिश्चित किया जावें।
9. यह सुनिशचित किया जावे कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्य स्थल, सार्वजनिक परिवहन सहित भीड़–भाड़ वाली जगह पर बिना मास्क नहीं रहें। सुबह रोजाना छात्र एवं छात्राओं का 4–4 का समूह मौहल्लों में घर–घर जाकर मास्क लगाने के लिये प्रेरित करेगें।
10. स्कूल शिक्षा विभाग, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, खेल एवं युवा विभाग, इत्यादि विभागो का इस महा अभियान में सक्रिय सहयोग लिया जावें।
11. प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों वाले शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर एवं बीकानेर में कोरोना वायरस के अधिक फैलाव को रोकने के लिये धारा 144 लगायी जा चुकी हैं। **इन जिलों में सार्वजनिक जगहों पर 4 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठे होने पर रोक हैं**, इस संबंध में आम लोगों को जानकारी दी जावें एवं कही भी भीड़ एकत्रित नहीं हो इसको सुनिश्चित किया जावें। तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जागरूकता हेतु इस आन्दोलन को अधिक से अधिक प्रभावी बनावें जिससे इन जिलों में कोरोना के प्रसार को रोका जा सकें।

Scanned with CamScanner

12. अभियान का व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जावें, जिसमें **सोशल मीडिया** सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित हो।

उपरोक्त निर्देशों की पालना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ताकि लोगों में अपने और स्वजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सकारात्मक संदेश जायें। आगामी एक माह तक आमजन की सक्रिय भागीदारी के साथ यह जन आन्दोलन के रूप में सघन अभियान चलाया जायें। इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में स्वायत्त शासन विभाग की ई–मेल आईडी **dlbrajasthan@gmail.com** एवं **dlb.lsg@rajasthan.gov.in** पर प्रेषित की जावें।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

क्रमांकः—मो.प्र. / DLB / कोरोना / कन्ट्रोल / 2020 / 2081 — जयपुर, दिनांकः— 01/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव समस्त।
4. समस्त संभागीय आयुक्त,, राजस्थान।
5. आयुक्त, जन संपर्क विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

Scanned with CamScanner